संख्या 128/2020/ 524 / सात-न्याय -9 (बजट) -2020-216 जी/2007टी0सी0-।

प्रेषक,

जे0पी0 सिंह-।।,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-9 बजट लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2020

विषय- जनपद न्यायालयों में ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न मरम्मती कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक (न्यायिक) (लेखा) मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के पत्रांक- 3876/2020- इन्फ्रा0, दिनांक 25-06-2020 के द्वारा शासनादेश सं0-438/सात-न्याय-9 (बजट) -2020-216जी/2007टी0सी0 दिनांक 16 जून, 2020 के संदर्भ में यह अवगत कराया गया है कि शासनादेश सं0-87/2020/233/सात-न्याय-9 (बजट) -2020-800 (6) /2017 दिनांक 05 मार्च, 2020 में अंकित ग्राम न्यायालय रायबरेली, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी जजशिप में आवंटित धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही आहरित कर कार्यदायी संस्थओं को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2- प्रकरण में निबन्धक (न्यायिक) (लेखा) मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा बतायी गयी उक्त स्थिति के दृष्टिगत शासनादेश सं0-438/सात-न्याय-9 (बजट) -2020-216जी/ 2007टी0सी0 दिनांक 16 जून, 2020 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16 जून 2020 के साथ संलग्न सूची के क्रमांक 01, 03 व 06 पर उल्लिखित जनपदों यथा रायबरेली, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी के ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न मरम्मती कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि क्रमशः रू017.01 लाख, रू0 1.98 लाख तथा रू0 5.66 लाख को विलोपित करते हुए पूर्व निर्गत शासनादेश सं0-87/2020/233/सात-न्याय-9 (बजट) -2020-800 (6) /2017 दिनांक 05 मार्च, 2020 को उक्त सीमा तक बनाये रखा जाय।

3- संदर्भित शासनादेश सं0-438/सात-न्याय-9 (बजट) -2020-216जी/2007टी0सी0 दिनांक 16 जून, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश में उल्लिखत शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(जे0पी0 सिंह-।।)
प्रमुख सचिवs

संख्या- 128/2020/ 524 (1) / सात-न्याय -9 (बजट) -2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निबन्धक (न्यायिक) (अवस्थापना अधीनस्थ न्यायालय) मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
4- निजी सचिव, अध्यक्ष, अवस्थापना, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
5- सम्बन्धित समस्त जनपद न्यायाधीश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से!
8- मुख्य अभियन्ता (भवन) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,लखनऊ।
10- सम्बन्धित जनपदों के समस्त अधशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-12
12- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(अजय कुमार शाही)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।